कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक:-13.08.2024

शासन के सर्वोच्च प्राथमिकताओं मे से एक महिला सम्मान सुरक्षा एवं महिला संबधित समस्याओं की त्वरित कार्यवाही के दृष्टिगत निस्तारण तथा उ0 प्र0 शासन के मंशा के अनुरुप पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक-13.08.2024 को अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी कमिश्नरेट वाराणसी, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी नीतू कत्तयान व सहायक पुलिस आयुक्त दश्वावमेघ प्रज्ञा पाठक के नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों की एंटीरोमियों टीम/मिशन शक्ति टीम/महिला बीट आरक्षी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाको में जनचौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं एवं बच्चों की सूरक्षा, सम्मान एंव स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण हेतु जागरुक/प्रोत्साहित किया गया।

अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ममता रानी एंव अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी श्रीमती निरुपमा जिला प्रोबेशन संरक्षण अधिकारी कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना फूलपुर अन्तर्गत ग्राम बेलवा एवं अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी नीतू कत्तयान द्वारा आर्य महिला इंटर कॉलेज चेतगंज तथा सहायक पुलिस आयुक्त दश्वावमेघ प्रज्ञा पाठक द्वारा जन चौपाल लगाकर मिशन शक्ति के तहत **महिलाओं/बालिकाओं को आत्म सुरक्षा एंव हेल्पलाइन न0 जैसे 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन न0, 102 स्वास्थ सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा व साइबर हेल्प लाइन न0 1930 एवं गुड टच-बैड टच के बारे में बताते हुए** राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,घरेलू हिंसा अधिनियम,पाक्सो अधिनियम,दहेज निषेध अधिनियम 1961,मैटरनीटी लाभ अधिनियम 1861,कार्य स्थल पर महिलाओं के लैगिग उत्पीड़न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आदि का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने समाज मे उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हे सक्षम बनाने,अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं मिशन शक्ति महिला पुलिस कर्मियों को सूचना देने, आदि के संबध मे जागरुक किया गया।

साथ ही साथ कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों द्वारा कुल 174 स्थानों पर जनचौपाल लगाकर 1967 बालिकाओं/महिलाओं को उनके प्रति होने वाले अपराधो के बारे मे जागरुक कराया गया तथा शोहदो व मनचलो के द्वारा बालिकाओं/महिलाओं पर छिटाकसी करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये कुल 08 मनचलों/शोहदो के विरुद्ध 151 तथा 10 के विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट की कार्यवाही करते हुए अन्य को कठोर चेतवानी दी गयी। उपरोक्त अभियान प्रत्येक सप्ताह में दिन मंगलवार एवं बुधवार को प्रातः 09.00 बजे से पूरे दिन अनवरत संचालित रहेगा।

सोशल मीडिया
कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त,
महिला अपराध
कमिश्नरेट वाराणसी